



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235885  
CG-DL-E-19052022-235885

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2200]  
No. 2200]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2022/वैशाख 29, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2022/VAISAKHA 29, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2022

सं. 07 / 2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 09 के तहत ताजा अदरक की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 2320(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 09 के आईटीसी (एचएस) 09101110 के तहत नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती है।

एक्विजम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
0910 11	अदरक: न तो कुचला हुआ न ही पिसा हुआ			
0910 11 10	—ताजा	प्रतिबंधित	तथापि, नेपाल से पूर्ण रूप से उत्पादित अदरक का आयात व्यापार की भारत-नेपाल संधि के अनुच्छेद IV	क) नेपाल से पूर्ण रूप से उत्पादित अदरक का आयात व्यापार की भारत-नेपाल संधि के अनुच्छेद IV और V के अधीन मुक्त है

			और V के अधीन मुक्त है	ख) भूटान से पूर्ण रूप से उत्पादित अदरक का आयात भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर समझौता के अनुच्छेद-I के अधीन मुक्त है।
--	--	--	-----------------------	--

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: भूटान में पूर्ण रूप से उत्पादित ताजा अदरक का आयात भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर समझौते के अधीन मुक्त है।

[फा. सं. 01/89/180/43/एएम-01/पीसी-2[क]/भाग-III/ई-8258]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2022

**No. 07/2015-2020**

**Subject : Amendment in import policy condition of Fresh Ginger under Chapter 09 of the ITC (HS) 2022, Schedule -I (Import Policy).**

**S.O. 2320(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 and section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition under ITC (HS) 0910 11 10 of Chapter 09 of ITC (HS) 2022, Schedule 1 (Import Policy) as under:

Exim Code	Item Description	Existing Policy	Existing Policy condition	Revised Policy Condition
0910 11	- Ginger:-- Neither crushed nor ground			
0910 11 10	--- Fresh	Restricted	However, import of wholly produced ginger from Nepal is Free subject to Article IV & V of Indo-Nepal Treaty of Trade.	a) Import of wholly produced ginger from Nepal is Free subject to Article IV & V of Indo-Nepal Treaty of Trade. b) Import of wholly produced ginger from Bhutan is Free subject to Article-I of Agreement on Trade, Commerce and Transit between India and Bhutan.

**Effect of this Notification:** Import of Fresh ginger, wholly produced in Bhutan, is Free subject to Article-I of Agreement on Trade, Commerce and Transit between India and Bhutan.

[F. No. 01/89/180/43/AM-01/PC-2[A]/Part-III/E-8258]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.